D.FA

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक–1784 /12–1 :देहरादूनः दिनांकः २० फरवरी, 2024.

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25–सुभाष रोड, देहरादून।

विषयः– जनपद–देहरादून में राजाजी राष्ट्रीय पार्क के अन्तर्गत चीला–मोतीचूर कोरीडोर की पुर्नस्थापना हेतु खाण्ड़ गांव–3 के परिवारों को विस्थापित कर लाल पानी कक्ष सं0–2 में बसाने हेतु 2.40 है0 (1.8850 है0 विस्थापन हेतु एवं 0.515 है0 अन्य सुविधाओं हेतु प्रत्यावर्तन) वन भूमि का राजाजी राष्ट्रीय पार्क को प्रत्यावर्तन।
(आनलाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UK/RIHAB/40824/2019)

सन्दर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या–08बी/यू0सी0पी0 /09/193 /2019/एफ0सी0/81 दिनांक 20–04–2021.

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगतनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या– 08बी/यू0सी0पी0/09/193/2019/एफ0सी0/81 दिनांक 20–04–2021 के द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्र 1682/12–1 दिनांक 12.02.2024 के द्वारा बिन्दुवार आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही हैः–

क्रं0सं0	अधिरोपित शर्त	अनुपालन आख्या
1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।
2.	प्रतिपूरक वनीकरण– (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1030 पौधों का रोपण कार्य किया जायेगा एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 1.03 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहा तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाय तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाय।	(क) वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण/राजाजी टाइगर रिजर्व द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1030 पौधों का रोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु प्रतिपूरक वनीकरण की निर्धारित दर (0.515 X 2 है0)= 1.03 है0 @ 4,07,992.00 प्रति है0=4,20,231.76 या रू0 4,20,232.00 (चार लाख बीस हजार दो सौ बतीस रूपये) मात्र की आवश्यक धनराशि चालान के माध्यम से कैम्पा कोष, नई दिल्ली के खाते में जमा की जा चुकी है। (संलग्न–1)
	(ख) राज्य सरकार पौधारोपण योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं Coordinates अंकित करते हुए डिजीटल मानचित्र इस कार्यालय में प्रेषित करेगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि पौधारोपण योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं Coordinates अंकित करते हुए डिजीटल मानचित्र की प्रति संलग्न है। (संलग्न–2)
3.	शुद्ध वर्तमान मूल्य – (क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः/ 202/1995 में IA नम्बर–556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एंव 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी.दिनांक 03.10.2006 एंव 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05. 02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के 0. 515 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) वसूल करेगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तन हेतु 0.515 है0 वन क्षेत्र के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की आवश्यक कुल देय धनराशिः– 0.515 X 11,16,900.00=5,75,204.00 (पॉच लाख पिचहत्तर हजार दो सौ चार रूपये) मात्र चालान के माध्यम से कैम्पा कोष, नई दिल्ली के खाते में जमा की जा चुकी है।

	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप से देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र/शपथ–पत्र प्रस्तुत करेगा।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि इस आशय का प्रमाण–पत्र/शपथ–पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संलग्न है। **(संलग्न–3)**
4.	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्युनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 72 Tree से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5.	परियोजना के तहत् प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित /जमा किया जायेगा।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना के तहत् प्राप्त धन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा की गयी है।
6.	गाईडलाईन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11. 2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लिखित कार्य के अलावा कोई गतिविध नहीं की जायेगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि गाईडलाईन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिऐ पारित किये गये आदेश एवं उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
7.	एफ.आर.ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण–पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एफ.आर.ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण–पत्र के माध्यम से उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
8.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
9.	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आऊट प्लान नहीं बदला जायेगा।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आऊट प्लान नहीं बदला जायेगा।
10.	वन भूमि एंव आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि एंव आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।
11.	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
12.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।
13.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिऐ वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिऐ वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
14.	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।

15.	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति हो हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति हो हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
16.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंधन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंधन होगा एंव पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01. 2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि किसी भी शर्त का उल्लंधन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंधन पाये जाने पर पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
17.	पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एंव वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एंव वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते का अनुपालन किया जायेगा।
18.	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एंव पुर्नर्जीवित करने का कर्य किया जायेगा। मलवे को यथास्थान रखने हेतु' दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एंव सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
19.	यदि अन्य कोई सम्बधित अधिनियम/अनुच्छेद /नियम/न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता अभिकरण की जिम्मेदारी होगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वांछित अनुमति प्राप्त करने हेतु अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
20.	अनुपालना रिर्पोट (https:// parivesh. Nic. in) पर अपलोड की जायेगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परिपूर्ण अनुपालना रिर्पोट (https:// parivesh.Nic.in) पर अपलोड की गयी है।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
कार्या0 अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या :– 1786 /12–1 (दे0दू0) दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाईगर रिजर्व, देहरादून।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
कार्या0 अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।